न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–182/2017 दायर दिनांकः 17.10.2017

GCMS NO:- 2017/00317

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. छोटू आ0 बजरंगा जाति ब्राम्हण निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां हाल निवासी बून्दी जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. दुर्गाशंकर उर्फ दुर्गेश आ0 सत्यनारायण जाति ब्राम्हण निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां हाल निवासी बांसी तहसील नैनवां।
2. चोथमल आ0 सत्यनारायण सत्यनारायण जाति ब्राम्हण निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां हाल निवासी बांसी तहसील नैनवां।
3. यशोदा देवी पत्नी सत्यनारायण सत्यनारायण जाति ब्राम्हण निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां हाल निवासी बांसी तहसील नैनवां।
4. सन्जू पुत्री सत्यनारायण हाल पत्नी सीताराम जाति ब्राम्हण निवासी रिद्धी सिद्धी कॉलोनी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. मन्जू पुत्री सत्यनारायण हाल पत्नी रंगलाल जाति ब्राम्हण निवासी परकासी कुई के पास, मोडसा देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. रमेश आ0 मोहनलाल जाति ब्राम्हण निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. दुर्गालाल आ0 मोहनलाल ब्राम्हण निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. महावीर आ0 मोहनलाल ब्राम्हण निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां हाल पता थाने के पास वाली गली नैनवां जिला बून्दी।
9. चन्द्रा आ0 मोहनलाल जाति ब्राम्हण हाल पत्नी गोकुल जाति ब्राम्हण निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. सावित्री उर्फ गायत्री पुत्री मोहनलाल हाल पत्नी रामस्वरूप शर्मा हाल सी/ओ मूलचन्द जांगिड आनन्द विहार 14 नम्बर के पास लोहामण्डी जयपुर।
11. जगदीश आ0 बजरंगा जाति ब्राम्हण निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. शिवप्रसाद आ0 बजरंगा जाति ब्राम्हण निवासी हाल गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. राजेश आ0 मूलचन्द जाति ब्राम्हण निवासी वार्ड नं. 17 नैनवां तहसील नैनवां।
14. कमलेश आ0 मूलचन्द जाति ब्राम्हण हाल परिचालक राजस्थान पथ परिवहन निगम बून्दी।
15. मधू बाई पुत्री मूलचन्द जाति ब्राम्हण हाल पत्नी लक्ष्मीचन्द गौत्तम अध्यापक केशवपुरा सेक्टर 6 मकान नं0 263 कोटा।
16. मन्जू पुत्री मूलचन्द जाति ब्राम्हण हाल पत्नी महेश गौत्तम उर्फ लल्ली, 54 आफिस गोदाम के सामने रतवाली केथूनीपोल कोटा।
17. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 24.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 28 की खसरा संख्या 497 रकबा 01 बीघा 19 [illegible] है। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में भूमि सिवायचक खाता संख्या [illegible] खसरा संख्या 491/06–11, 492/02–01

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

भूमि स्थित है। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 497 पर आने जाने का आम रास्ता खसरा संख्या 491, 492, 494, 490 के मध्य स्थित मेड पर से पूर्वी ओर होता हुआ पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई मे तथा खसरा संख्या 499 सिंचाई धोरे को पार कर वादी के संयुक्त खाते की भूमि पर, जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है , के अनुसार है। यह कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण कोई भी बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा हो जाता है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अपने जवाब में प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने यह निवेदन किया कि खसरा संख्या 491 में सरकारी तलाई है तथा खसरा संख्या 493 में सरकारी स्कूल, खसरा संख्या 492 में सरकारी स्कूल है, वहां पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। तथा खसरा संख्या 494 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी की भूमि है । खसरा संख्या 490 प्रतिवादी दुर्गालाल की खातेदारी भूमि है। जिसमें कोई रास्ता नही निकला हुआ है। यह कि वादी ने उक्त वाद पत्र गलत व निराधार तथ्यों पर पेश किया है अतः खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता का नहीं है। अतः खसरा संख्या 497 तक पहुँचने के लिए भूमि खसरा संख्या 492 रकबा 02–01 बीघा सिवायचक में से रकबा 316.8 फीट • 13.2 फीट = 4181.79 वर्गफीट भूमि, खसरा संख्या 494 रकबा 08–12 बीघा में से रकबा (211.2 फीट • 13.2 फीट)+(224.4 फीट • 6.6 फीट) = 4268.88 वर्गफीट भूमि, खसरा संख्या 490 रकबा 04–07 बीघा में से रकबा 237.6 फीट • 6.6 फीट = 1568.16 वर्गफीट भूमि, खसरा संख्या 499 रकबा 00–03 बीघा गै0मु0 धोरा में से रकबा 19.8 फीट • 6.6 फीट = 130.68 वर्गफीट भूमि तथा खसरा संख्या 495 रकबा 00–07 बीघा गै0मु0 धोरा में से रकबा 19.8 फीट • 6.6 फीट = 130.68 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि खसरा संख्या 491 मुताबिक रिकार्ड गै0मु0 तलाई है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सादेडा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 497 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा संख्या 494 रकबा 08–12 बीघा में से रकबा (211.2 फीट • 13.2 फीट)+(224.4 फीट • 6.6 फीट) = 4268.88 वर्गफीट भूमि, खसरा संख्या 490 रकबा 04–07 बीघा में से रकबा 237.6 फीट • 6.6 फीट = 1568.16 वर्गफीट भूमि, जिसे प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner